

अनुदान संख्या 47 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 47-DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,  
SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	445,89,00	445,93,00	383,19,95
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			57,07,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-		2,00,00	2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health			
मू.	O.	23129.00	20816.58	20289.54
पू.	S.	4.00		
पु.	R.	-2316.42		
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	3830.00	..	..
पु.	R.	-3830.00		..

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	17100.00	17500.68	17493.19
पु.	R.	400.68		

(I) 4027.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3980.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष '2210'' - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - निदेशन और प्रशासन - टीकेडीएल और आयुष बौद्धिक संपत्ति अधिकार" - 150.00 लाख रु. पिछले वर्षों के उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष '2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए प्रावधान" - 3830.00 लाख रु. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष '2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" -

(क) "आयुर्वेद - दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल" - 1496.04 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.4027.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.3980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Direction and Administration - TKDL and AYUSH intellectual property rights" - Rs.150.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates of previous years.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for North Eastern States and Sikkim" - Rs.3830.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines" -

(a) "Ayurveda - National Ayurvedic Hospital in Delhi" - saving of Rs.1496.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal by the competent authority.

(ख) “अन्य पद्धतियां - अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध-सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठन) आदि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान” - 1290.99 लाख रु. की बचत (1709.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” -

(क) “होम्योपैथी - राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान” - 298.66 लाख रु. की बचत (1130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “यूनानी - राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - 500.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) “अन्य पद्धतियां - राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान” - 200.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ‘3601’ - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन” - 2314.15 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां अन्य पद्धतियां - आयुष औषधालयों के लिए स्कीम” -

(b) “Other Systems – Grants for Extra Mural Research Projects through Research Institute (Private/Semi Government/ Government/Universities/NGO) etc.” – saving of Rs.1290.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1709.00 lakhs) was due to less receipt of suitable proposals.

(B) “Medical Education, Training and Research” -

(a) “Homoeopathy – Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata” – saving of Rs.298.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1130.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Central Public Works Department for construction works.

(b) “Unani - Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore” - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(c) “Other Systems - Grants to National Institute of Siddha, Tamil Nadu” – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous years lying with the Institute.

(III) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads: -

(A) “Medical Education, Training and Research – Ayurveda – Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” – saving of Rs.2314.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and receipt of less proposals.

(B) “Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Other Systems – Scheme for AYUSH

386.66 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.54 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1517.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष '2210' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में 4.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां" -

(क) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" - 66.00 लाख रु.।

(ख) "अन्य पद्धतियां" -

(i) "आयुष के प्रयोग और स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण" - 54.94 लाख रु.।

(ii) "औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना" - 699.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 693.11 लाख रु. था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(क) "आयुर्वेद - आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद को अनुदान" - 607.18 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 426.69 लाख रु. था।

(ख) "अन्य पद्धतियां - मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान" - 90.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 86.21 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष '3601' - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत

Dispensaries" - saving of Rs.386.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to less receipt of suitable proposals.

(IV) Under one head saving of Rs.53.54 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1517.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.4.00 lakhs in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 under Major Head "2210" - under the following heads: -

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines" -

(a) "Homoeopathy - Grants to Central Council of Homoeopathy, New Delhi" - Rs.66.00 lakhs.

(b) "Other Systems" -

(i) "Survey on usage and acceptability of AYUSH" - Rs.54.94 lakhs.

(ii) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" - Rs.699.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.693.11 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha" - Rs.607.18 lakhs. Actual excess, however, was Rs.426.69 lakhs.

(b) "Other Systems - Morarji Desai National Institute of Yoga" - Rs.90.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.86.21 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण" - 139.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम" - 2955.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Sponsored Plan Schemes" - under the following heads:-

(A) "Medical Education, Training and Research - Ayurveda - Quality Control of ASU&H Drugs" - excess of Rs.139.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs); and

(B) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - Scheme for AYUSH Hospitals" - excess of Rs.2955.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.